

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

रण संख्या :- 01/2021 (GCMS No. 2021/94)

प्रार्थी

1. बगाराम पुत्र धूखाराम
कौम दर्जी निवासी नगर हाल निवासी भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लिखमा पुत्र गिरधारी
2. बाबू पुत्र गिरधारी
3. वस्ता पुत्र गिरधारी फौत के कायम मुकाम :-
3/1 श्रीपाल पुत्र वस्ता
3/2 प्रवीण पुत्र वस्ता
3/3 वदूदेवी पत्नी वस्ता
4. राजकुमार पुत्र सोहनलाल
5. अमृतकुमार पुत्र सोहनलाल
6. पुष्पाकुमारी पुत्री सोहनलाल
7. झमूदेवी पत्नी सोहनलाल
8. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम
9. मुकेश पुत्र जेठाराम
10. अटल पुत्र जेठाराम
11. सुन्दर उर्फ चंदा पत्नी जेठाराम
12. लूणाराम पुत्र पूनमा
13. पारसमल पुत्र पूनमा
14. मेती पत्नी पूनमा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 व 13
कौम दर्जी साकिन नगर तहसील गुड़ामालानी
15. मांगा पुत्र धोखा
16. रमेश पुत्र धोखा
17. गंवरी पत्नी धोखा
कौम दर्जी साकिन नगर हाल भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते राजस्व
रेकॉर्ड मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी खसरा नम्बर 526 रकबा 5-13 व नया नगर
खसरा नम्बर 508 रकबा 47-17 बीघा में नाम शुद्धिकरण बाबत

उपस्थित :-

1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण - अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 19/08/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र नगर के ग्राम नगर में खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 5-13 बीघा व ग्राम नया नगर में खेत खसरा नम्बर 508 रकबा 47-17 बीघा की आयी हुई है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बगाराम पुत्र धूखाराम है जबकि उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का घर में बोले जाने वाला नाम ईशरा वल्द धोका दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का


सही नाम बगाराम पुत्र धूखाराम दर्ज है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाबजूद नोटिस तामील के अनुपरिथत रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

ग्राम पंचायत नगर द्वारा अपीलार्थी का नाम ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 5-13 बीघा, ग्राम नया नगर के खेत खसरा नम्बर 508 रकबा 47-17 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दर्ज नाम ईशरा वल्द धोंका को दुरुस्त कर बगाराम पुत्र धूखाराम करने की सहमति दी है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता हरीश चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी का नाम उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में ईशरा वल्द धांका दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजा में बगाराम पुत्र धूखाराम दर्ज है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, वकील प्रार्थी की बहस, ग्राम पंचायत नगर द्वारा दी गई सहमति को मध्यनजर रखकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र नगर के ग्राम नगर में खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 5-13 बीघा व ग्राम नया नगर में खेत खसरा नम्बर 508 रकबा 47-17 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम "ईशरा पुत्र धोंका" के स्थान पर "बगाराम पुत्र धूकाराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 19.9.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रसाद कुमार)
उपर्युक्त अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी